

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक- /पटना, दिनांक-

सं0सं0-04तक0/औद्योगिक विकास अभियान/21/2023

प्रेषक,

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),

बिहार, पटना।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में औद्योगिक विकास अभियान योजनान्तर्गत आतिथ्य व्यय मद में बजट उपबंध रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख) मात्र के विरुद्ध तृतीय एवं अंतिम किस्त में प्राप्त आवंटन रू0 3.50 लाख (रूपये तीन लाख पचास हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में औद्योगिक विकास अभियान योजनान्तर्गत आतिथ्य व्यय मद में बजट उपबंध रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख) मात्र के विरुद्ध तृतीय एवं अंतिम किस्त में प्राप्त आवंटन रू0 3.50 लाख (रूपये तीन लाख पचास हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व में उक्त मद में स्वीकृत्यादेश संख्या-1712 दिनांक-02.05.2025 द्वारा रू0 3.30 लाख एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-3751 दिनांक-17.10.2025 द्वारा रू0 3.20 लाख की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन कर इसकी समीक्षा एवं प्रकाशन, पुस्तकों की छपाई, इन पुस्तकों को कम्प्यूटर/डिस्लेटर के संग्रहण, देश एवं विदेशों में राज्य से संबंधित औद्योगिक आधारभूत जानकारियाँ एवं अन्य सूचनाओं से इच्छुक उद्यमियों/निवेशकों को अवगत कराना, समय-समय पर औद्योगिक अभियान के सिलसिले में सेमिनार, संगोष्ठियों का विभिन्न जगहों पर आयोजन करना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया एवं अन्य माध्यमों तथा प्रोजेक्टरों आदि के द्वारा राज्य से संबंधित जानकारियों का फिल्मांकन कर उपस्थापित करना आदि विभिन्न प्रकार का कार्य तथा औद्योगिक विकास के लिए परामर्शी/कन्सल्टेंसी शुल्क का भुगतान करना है। कन्सल्टेंसी शुल्क, घरेलू उद्योग, कृषि पर आधारित यथा फूड प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिलों में गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

4. इस राशि की निकासी मुख्यशीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0147-बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के अंतर्गत पूँजी निवेश प्रोत्साहन हेतु गोष्ठियों का आयोजन, विपत्र कोड-23-2852801020147, विषय शीर्ष-0147-20-01 आतिथ्य व्यय मद में उपबंधित राशि से की जायेगी। जिसके लिये यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

5. यह राज्य सरकार की चालू योजना है।

6. इस राशि की निकासी BTC Form-46 पर की जायेगी।

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से उक्त राशि की निकासी कर उद्योग मित्र, पटना के पी0एल0ए0 खाता संख्या-PBBPLA018 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

8. इस योजना के नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा पी0एल0 खाताधारी पी0एल0 खाता का धन ऋण जापन (Plus Minus Memorandum) एवं व्यय के सुसंगत भाउचर्स उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करार्येंगे।

9. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-4263 दिनांक-20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

10. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561/वि (2), दिनांक 17.04.1998 के कंडिका-2 के आलोक में किया जायेगा तथा निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश में संचिका संख्या-04तक0/औद्योगिक विकास अभियान/21/2023 के पृष्ठ-31 /टि0 पर दिनांक-12.01.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश में संचिका संख्या-04तक0/औद्योगिक विकास अभियान/21/2023 के पृष्ठ-31/टि0 पर दिनांक-13.01.2026 को सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अनिल कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

जापांक-

/पटना, दिनांक-

सं0सं0- 04तक0/औद्योगिक विकास अभियान/21/2023

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

जापांक- 119

/पटना, दिनांक-

27/01/2026

सं0सं0- 04तक0/औद्योगिक विकास अभियान/21/2023

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी बजट शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/26

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

16/1/25